राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING
आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित/ISO 9001 : 2008 Certified
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मा.सं.वि.मं., भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)
(An Autonomous Institution Under Deptt. of School Education and Literacy, M.H.R.D., Govt. of India)

फा-4-3/2017/एनआईओएस/मूल्यांकन/परि.एवं सम./311 दिनांक : 11.05.2017

अधिसूचना - 14/2017

माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम परीक्षाओं के लिए नामांकन तथा परीक्षा शुल्क के भुगतान संबंधी सूची अधिसूचना संख्या 02/2012, दिनांक 27.11.2012 के अधिक्रमण में संशोधित सूची अक्तूबर-2017 की परीक्षाओं से प्रभावी होगी।

विषयों के संयोजन के कारण परीक्षा के दिनों की संख्या कम करने की स्थिति में तथा परिणाम की पूर्वन/शीघ्र घोषणा को भी ध्यान में रखते हुए ये संशोधन किया गया है। संशोधित सूची निम्नानुसार होगी :

(क) अप्रैल सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए

(i) नए तथा पिछली परीक्षाओं के असफल शिक्षार्थियों के लिए - **21 नवंबर से 20 दिसंबर तक (विलंब शुल्क के बिना)**
(ii) उन शिक्षार्थियों के लिए जो पिछली परीक्षाओं में जैसे अक्तूबर की परीक्षाओं में असफल हुए हों **- 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक (विलंब शुल्क के बिना)**
(iii) सभी शिक्षार्थियों के लिए रु. 100/- प्रति विषय विलंब शुल्क के साथ - **21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक (विलंब शुल्क सहित)**
(iv) सभी शिक्षार्थियों के लिए प्रति शिक्षार्थी रु. 1500/- समेकित विलंब शुल्क के साथ - **1 जनवरी से 10 जनवरी (समेकित विलंब शुल्क सहित)**

(ख) अक्तूबर सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए

(i) नए तथा पिछली परीक्षाओं के असफल शिक्षार्थियों के लिए - **21 मई से 20 जून तक (विलंब शुल्क के बिना)**
(ii) उन शिक्षार्थियों के लिए जो पिछली परीक्षाओं में जैसे अक्तूबर की परीक्षाओं में असफल हुए हों **- 1 जून से 20 जून तक (विलंब शुल्क के बिना)**
(iii) सभी शिक्षार्थियों के लिए रु. 100/- प्रति विषय विलंब शुल्क के साथ - **21 जून से 30 जून तक (विलंब शुल्क सहित)**
(iv) सभी शिक्षार्थियों के लिए प्रति शिक्षार्थी रु. 1500/- समेकित विलंब शुल्क के साथ - **1 जुलाई से 10 जुलाई (समेकित विलंब शुल्क सहित)**

क्षेत्रीय निदेशकों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है तथा संबंधित एआई को माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा शुल्क निश्चित समय पर जमा करने हेतु सूचित करने का भी निदेश दिया जाता है। क्षेत्रीय निदेशकों को यह अधिसूचना एनआईओएस के नियमानुसार स्थानीय समाचार पत्रों में सूचित करने के साथ-साथ एनआईओएस क्षेत्रीय वेबसाइट पर अपलोड करने का भी निदेश दिया जाता है।

ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-62, नोएडा-201309 (उ.प्र.) • दूरभाष : 0120-4089800 • फैक्स : 0120-2403172
A-24-25, Institutional Area, Sector-62, NOIDA-201309 (U.P.) • Phone : 0120-4089800 • Fax : 0120-2403172 • Website: www.nios.ac.in

यह सक्षम प्राधिकारी की अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सी.धारुमन)
निदेशक (मूल्यांकन)

वितरण:

1. विभागाध्यक्ष, एनआईओएस
2. अध्यक्ष महोदय, एनआईओएस की सूचनार्थ सहा.निदेशक (अ.का.)
3. क्षेत्रीय निदेशक, एनआईओएस को शिक्षार्थियों की सूचनार्थ संबंधित एआई को सूचित करने के निर्देश के साथ
4. संयुक्त निदेशक (सीबीसी)/एसएपी, एनआईओएस को एनआईओएस की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए तथा उपर्युक्त सूची के अनुसार शिक्षार्थियों द्वारा ऑन-लाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क के भुगतान हेतु आवश्यक प्रबंध करने के लिए भी।
5. संयुक्त निदेशक (वि.स.से.), एनआईओएस की जानकारी के लिए तथा एनआईओएस विवरणिका में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए।
6. अनुभाग अधिकारी तथा वरिष्ठ स्तर के सभी अधिकारी